

**भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA**  
**रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS**  
**(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)**

No. E(W)2016/PS5-1/8


New Delhi, dated 31.01.2019

The General Managers (P)  
All Zonal Railways &  
Productions Units.

Sub: Revised travel entitlements on Duty Passes, Privilege Passes and Post Retirement Complimentary Passes (PRCP).

Consequent to implementation of 7<sup>th</sup> CPC's recommendations and notification of Railway Services (Revised Pay) Rules - 2016 (RSPR) w.e.f. 01.01.2016, the matter regarding linking of travel entitlements on Duty Passes, Privilege Passes/PTOs and PRCP with the 'Pay Level in Pay Matrix' (PLPM) has been examined in consultation with Commercial and Finance Dtes. The Competent Authority has accorded his approval for the revised travel entitlements on status (i.e. Gazetted/Non-gazetted) cum PLPM basis as indicated in Annexure-I (for Duty Pass) and Annexure-II (for Privilege Pass/PRCP).

2. In all other respects, the extant provisions of Railway Servants (Pass) Rules, 1986 (Second Edition-1993) will continue to apply.
3. The revised travel entitlements would take effect from 01.01.2016. Accordingly, PRCP/Widow Pass travel entitlement of the railway servants retired/deceased in the interregnum shall be re-fixed by the Pass Issuing Authorities.
4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of Ministry of Railways.
5. Hindi version will follow.

  
31/1/19  
(V. Muralidharan)  
Dy. Director Estt. (Welfare)-I  
Railway Board

Encl: Annexures I & II.

No. E(W)2016/PS5-1/8

New Delhi, dated 31.01.2019

Copy to :-

The Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224,  
Rail Bhavan, New Delhi (with 40 spares).

  
for Financial Commissioner/Railways

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, NFIR, Room No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi (with 20 spares).
2. The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhawan, New Delhi (with 20 spares).
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary Staff Side, National Council, 13-C, Feroze Shah Road, New Delhi (with 30 spares).
4. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi.
5. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi.
6. The Secretary, RBSS, Group "A" Officers Association, Room No.402, Rail Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, RBSS Group "B" Officers' Association, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The General Secretary, RBSSSA, Room No.439, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No. 341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The President, Indian Railway Class II Officers Association, Rail Nilayam, Secunderabad.
11. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhawan, New Delhi.
12. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association, Rail Bhawan, New Delhi.
13. The Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
14. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No.7, Rail Bhawan, New Delhi.
15. The General Secretary, All India O.B.C. Railway Employee's Federation (AIOBCREF), Room No.48, Rail Bhawan, New Delhi.

  
for Secretary/Railway Board

Copy forwarded to:-

- (i) Director(GA), Railway Board.
- (ii) Computer Cell/C&IS, Railway Board for uploading on MoR's website for information of all concerned.
- (iii) As per standard list.

## TRAVEL ENTITLEMENT ON DUTY PASS

Sl. No.	Status	Pay Level in Pay Matrix (PLPM)	Type of Pass	Maximum number of Berths/Seats for self + family members, as defined under Rule 2(d) of extant Railway Servants (Pass) Rules												
				Mail/Express Trains					Rajdhani/Duronto Express Type Trains					Shatabdi Express Type Trains		
				1-AC	2-AC	3-AC	SL/2S	1-AC	2-AC	3-AC	SL	2S	EC		CC	
Refer RBE No.68/2017 dated 12.07.2017 for 'Type Trains'																
1	CRB, Board Members including FC, DGs & GMs granted Apex Scale and Chief Commissioner for Railway Safety	17	Gold Pass*	2 + AE-I or 1 + RE/D-I	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	
2	GMs & other equivalent officers	16														
3	HAG officers (Including NF-HAG)	15		1+AE-II or 1+RE/D-I	4	4	4	4	4	1+AE-III or 1+RE/D-II	4	4	4	2	4	
4	SAG officers (Including NF-SAG)	14														
5	Selection Grade officers	13		1+AE-II or 1+RE/D-I	4	4	4	4	4	1+AE-III	4	4	4	2	4	
6	JAG officers	12		1+AE-II or 1+RE/D-I	4	4	4	4	4	1+AE-III	4	4	4	2	4	
7		11														
8	All other Group A & B Gazetted Officers	10		RE/D-III	4	4	4	4	4	NE	1+RE/D-IV	2	4	4	NE 2	
9		9														
10		8														
11		6 & above		First Class	NE	1	1	1	1	NE	NE	1	1	1	NE 1	
12		5														
13		4														
14		3		Second Class 'A'	NE	1	1	1	1	NE	NE	NE	1	1	NE NE	
15		2														
16		1		Second/Sleeper Class	NE	NE	NE	1	1	NE	NE	NE	NE	1	NE NE	
<b>Legend:-</b>				<b>AE</b>	Additional Entitlement		<b>RE/D</b>	Restricted Entitlement on Duty		<b>NE</b>	Not Entitled					
				<b>Gold Pass*</b>	Gold Pass holder is entitled for 1-AC Coupe (i.e. 2 berths) even when travelling alone.											
				<b>AE-I</b>	2 extra berths in 2-AC Class for other eligible family members included in the Pass.											
				<b>AE-II</b>	3 extra berths in 2-AC Class for eligible family members included in the Pass.											
				<b>AE-III</b>	1 extra berth in 2-AC Class for an eligible family member included in the Pass.											
				<b>RE/D-I</b>	3 extra berths for eligible family members included in the Pass on payment of 1/3 <sup>rd</sup> difference of fare between 1-AC Class and 2-AC Class of respective train.											
				<b>RE/D-II</b>	1 extra berth for an eligible family member included in the Pass on payment of 1/3 <sup>rd</sup> difference of fare between 1-AC Class and 2-AC Class of respective train.											
				<b>RE/D-III</b>	4 berths for self and eligible family members included in the Pass on payment of 1/3 <sup>rd</sup> difference of fare between 1-AC Class and 2-AC Class of respective train.											
				<b>RE/D-IV</b>	1 extra berth for an eligible family member included in the Pass on payment of 1/3 <sup>rd</sup> difference of fare between 2-AC Class and 3-AC Class of respective train.											
<b>Note:-</b>				Existing provisions regarding attendant facility shall continue to apply.												

V. M. L. D.  
21/1/19  
DDE(W)-I/Rly. Board

## TRAVEL ENTITLEMENT ON PRIVILEGE &amp; POST RETIREMENT COMPLEMENTARY PASSES

Sl. No.	Status	Pay Level in Pay Matrix (PLPM)	No. of Passes in a calendar year		Class of Pass	Mail/Express Trains					Berth/Seat Entitlement					Shatabdi Express Type Trains		
			Privilege Passes	PRCP (after 20 years of railway service)		Type Trains					Type Trains							
						1-AC	2-AC	3-AC	SL/2S	1-AC	2-AC	3-AC	SL	2S	EC		CC	
1	CRB & Board Members	17	06 Sets	03 Sets	First Class 'A'	2+ RE-I	AEM	AEM	AEM	AEM	2	4	AEM	AEM	2	2	2	
2	DGs & GMs																	
3	GMs & other equivalent Officers	16	06 Sets	03 Sets	First Class 'A'	1+ RE-I	AEM	AEM	AEM	1+ RE-II	2	4	AEM	AEM	2	2	2	
4	HAG Officers (Including NF-HAG)	15	06 Sets	03 Sets	First Class 'A'	RE-III	AEM	AEM	AEM	RE-IV	2	4	AEM	AEM	1	2	2	
5	SAG Officers (Including NF-SAG)	14	06 Sets	03 Sets	First Class 'A'		AEM	AEM	AEM									
6	Selection Grade Officers	13	06 Sets	03 Sets	First Class 'A'	RE-III	AEM	AEM	AEM	NE	2	4	AEM	AEM	NE	2	2	
7	JAG Officers	12	06 Sets	03 Sets	First Class 'A'		AEM	AEM	AEM									
8	Sr. Scale Officers	11																
9	Other Group A & B	10																
10	Gazetted Officers	9	06 Sets	03 Sets	First Class 'A'	RE-III	AEM	AEM	AEM	NE	1	2	AEM	AEM	NE	2	2	
11		8																
12		6 and above	01 Set (upto the end of 5 years of railway service)	02 Sets	First Class	RE-V	AEM	AEM	AEM	NE	1	2	AEM	AEM	NE	2	2	
13		5	03 Sets (after completion of 5 years of railway service)		Second Class 'A'	NE	AEM	AEM	AEM	NE	NE	NE	AEM	AEM	NE	NE	NE	
14	Non-gazetted Cadre	4																
15		3																
16		2																
17		1																
		Upgraded Pass for serving employees in PLPM 4, 3, 2 & 1:- 01 Set of Second Class 'A' Pass in lieu of 01 Set of Second/Sleeper Class Pass even with less than 05 years of railway service.																
Legend:-	AEM	All Eligible Members included in the Pass (i.e. self, family members & dependent relatives, as defined under Rule 2(c) & (d) and subject to other conditions stipulated in the extant Railway Servants (Pass) Rules).					RE	Restricted Entitlement	RE	Not Entitled								
	RE-I	Extra berths for other eligible members included in the Pass on payment of 1/3 <sup>rd</sup> difference of fare between 1-AC Class and 2-AC Class of respective train.																
	RE-II	One extra berth for any other eligible member included in the Pass on payment of 1/3 <sup>rd</sup> difference of fare between 1-AC Class and 2-AC Class of respective train.																
	RE-III	Berths for AEM on payment of 1/3 <sup>rd</sup> difference of fare between 1-AC Class and 2-AC Class of respective train.																
	RE-IV	One berth for self or any other eligible member included in the Pass on payment of 1/3 <sup>rd</sup> difference of fare between 1-AC Class and 2-AC Class of respective train.																
	RE-V	Berths for AEM on payment of full difference of fare between this Class and the next lower Class of respective train.																
Note:-	Existing provisions regarding attendant/companion facility shall continue to apply.																	

V. J. J. 31/1/19  
DDE(W)-I/Rly. Board

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

सं. ई(डब्ल्यू)2016/पीएस 5-1/8

दिनांक 31.01.2019

महाप्रबंधक (पी)  
सभी भारतीय रेलों एवं  
उत्पादन इकाइयाँ

**विषय: ड्यूटी पासों, सुविधा पासों और सेवोत्तर मानार्थ पासों (पीआरसीपी) पर संशोधित यात्रा हकदारी।**

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन और 01.01.2016 से रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम- 2016 (आरएसपीआर) की अधिसूचना के परिणामस्वरूप 'पे मैट्रिक्स में पे लेवल' (पीएलपीएम) के साथ ड्यूटी पासों, सुविधा पासों/पीटीओ और पीआरसीपी पर यात्रा हकदारी को जोड़ने से संबंधित मामले की वाणिज्य और वित्त निदेशालयों के परामर्श से जांच की गई है। सक्षम प्राधिकारी ने पद (स्टेटस) (अर्थात् राजपत्रित/अराजपत्रित) एवं पीएलपीएम आधार पर अनुलग्नक-1 (ड्यूटी पास) और अनुलग्नक-11 (सुविधा पास/पीआरसीपी) में उल्लेख किए गए संशोधित यात्रा हकदारी का अनुमोदन दिया है।

2. अन्य सभी मामलों में, रेल सेवक (पास) नियम, 1986 (द्वितीय संस्करण-1993) के मौजूदा प्रावधान लागू रहेंगे।
3. संशोधित यात्रा पात्रता 01.01.2016 से प्रभावी होगी। तदनुसार, इस अन्तराल में सेवानिवृत्त/मृत रेल सेवकों की पीआरसीपी/विधवा पास यात्रा हकदारी को पास जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा पुननिर्धारित किया जाएगा।
4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

वी. मुरलीधरन  
(वी. मुरलीधरन)

उप निदेशक स्थापना (कल्याण)-1  
रेलवे बोर्ड

संलग्नक: अनुलग्नक 1 एवं 11

सं. ई(डब्ल्यू)2016/पीएस 5-1/8

दिनांक 31.01.2019

प्रतिलिपि प्रेषित:

भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

गिरीश

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. ई(डब्ल्यू)2016/पीएस 5-1/8

दिनांक 31.01.2019

प्रतिलिपि अग्रेषितः

1. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (20 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
2. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (20 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सदस्य और सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (30 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली।
5. सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "ए" ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 402, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "बी" ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. जनरल सेक्रेटरी, आरबीएसएसएसए, कमरा नं. 439, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. अध्यक्ष, इंडियन रेलवे क्लास-II ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल निलयम, सिकंदराबादा
11. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास -IV स्टाफ एसोसिएशन रेल भवन, नई दिल्ली।
13. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
14. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इंप्लाइज एसोसिएशन, 7-भू-तल, रेल भवन, नई दिल्ली।
15. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया ओ.बी.सी. रेलवे इंप्लाइज फेडरेशन (एआईओबीसीआरइएफ), कमरा नं. 48, रेल भवन नई दिल्ली।



कृते सचिव, रेलवे बोर्ड

इयूटी पास पर यात्रा इकावरी

दिनांक 31.01.2019 के पत्र सं. ई(डब्ल्यू)2016/पीएस-5-1/8 का अनुलग्नक-1

क्रम सं.	पद	पे भैटिक्स में पें लेवल (पीएम)	पास की किस्म	स्वयं एवं मौजूदा रेल सेवक (पास) नियम के नियम 2(ख) के अंतर्गत यथा परिभाषित परिवार के सदस्यों के लिए बर्थासर्टों की अधिकतम संख्या											
				मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां				राजधानी/दूरतों किस्म की गाड़ियां							
				1-एसी	2-एसी	3-एसी	एसएल/2-एस	1-एसी	2-एसी	3-एसी	एसएल	2 एस	ईसी	सिवी	
1	अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, बोर्ड के सदस्य जिसमें वित्त आयुक्त शामिल हैं, महाविदेशक एवं महाप्रबंधक जिन्हें एथेक्स स्केल प्रदान किया गया है और मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त	17	स्वयं पास*	2 + एई-I अथवा 1 + आरई/डी-I	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	
2	महाप्रबंधक एवं समान स्तर के अधिकारी	16		1 + एई-II अथवा 1 + आरई/डी-I	4	4	4	4	1 + एई-III अथवा 1 + आरई/डी-II	2	4	4	4	2	4
3	एच ए जी अधिकारी (एन एक- एच ए जी सहित)	15	रजत पास		4	4	4	4							
4	एस ए जी अधिकारी (एन एक- एस ए जी सहित)	14			4	4	4	4							
5	सेलेक्शन ग्रेड अधिकारी	13	कांस्य पास/ प्रथम श्रेणी ए*	1 + एई-II अथवा 1 + आरई/डी-I	4	4	4	4	1 + एई-III	2	4	4	4	2	4
6	जे ए जी अधिकारी	12	(1-एसी प्राधिकार सहित)	1 + आरई/डी-I	4	4	4	4	1 + एई-III	2	4	4	4	2	4
7		11													
8		10	कांस्य पास/ प्रथम श्रेणी ए*												
9	अन्य सश्री ग्रुप ए एवं बी राजपत्रित अधिकारी	9		आरई/डी-III	4	4	4	4	एनई	1 + आरई/ डी-IV	2	4	4	4	2
10		8													
11		6 एवं ऊपर	प्रथम श्रेणी	एनई	1	1	1	1	एनई	एनई	1	1	1	1	1
12		5													
13	असजपत्रित संवर्ग	4	द्वितीय श्रेणी ए*	एनई	4	1	1	1	एनई	एनई	1	1	1	1	1
14		3													
15		2													
16		1	द्वितीय/स्वीपर श्रेणी	एनई	1	1	1	1	एनई	एनई	1	1	1	1	1

संकेतिका-

एई	अतिरिक्त इकावरी	आरई/डी	इयूटी पर सीमित इकावरी	एनई	इकावरी नहीं
स्वयं पास*	स्वयं पास धारक 1-एसी कुपे के लिए इकावरी है (अर्थात् 2 बर्थ) चाहे वह अकेले यात्रा कर रहे हों				
एई-I	पास में शामिल अन्य पात्र परिवार के सदस्यों के लिए 2-एसी में 2 अतिरिक्त बर्थ				
एई-II	पास में शामिल पात्र परिवार के सदस्यों के लिए 2-एसी में 3 अतिरिक्त बर्थ				
एई-III	पास में शामिल पात्र परिवार के सदस्य के लिए 2-एसी में 1 अतिरिक्त बर्थ				
आरई/डी-I	संबंधित गाड़ी में 1-एसी श्रेणी और 2-एसी श्रेणी के बीच किट के अंतर के 1/3 भुगटान पर पास में शामिल पात्र परिवार के सदस्यों के लिए 3 अतिरिक्त बर्थ				
आरई/डी-II	संबंधित गाड़ी में 1-एसी श्रेणी और 2-एसी श्रेणी के बीच किट के अंतर के 1/3 भुगटान पर पास में शामिल पात्र परिवार के सदस्य के लिए 1 अतिरिक्त बर्थ				
आरई/डी-III	संबंधित गाड़ी में 1-एसी श्रेणी और 2-एसी श्रेणी के बीच किट के अंतर के 1/3 भुगटान पर स्वयं तथा पास में शामिल पात्र परिवार के सदस्यों के लिए 4 बर्थ				
आरई/डी-IV	संबंधित गाड़ी में 2-एसी श्रेणी और 3-एसी श्रेणी के बीच किट के अंतर के 1/3 भुगटान पर पास में शामिल पात्र परिवार के सदस्य के लिए 1 अतिरिक्त बर्थ				

नोट:- परिवार मुनिपा से संबंधित मौजूदा प्रावधान लागू रहेंगे।

*(Handwritten Signature)*

सुविधा एवं सेवानर मानार्थ पासों पर यात्रा हकदारी

दिनांक 31.01.2019 के पत्र सं. ई(डब्ल्यू)2016/पीएस-1/8 का अनुलग्नक-11

क्रम सं.	पद	वे	सेटिक्स में वे लेवल (पीएल पीएम)	कैलेण्डर वर्ष में पासों की संख्या		पास की श्रेणी	वर्ष/सेट हकदारी					राजधानी/दुरंतो एक्सप्रेस किस्म की गाड़ियां					शांताद्वी एक्सप्रेस किस्म की गाड़ियां				
				सुविधा पास	पीछारसीपी (रेल सेवा के 20 वर्षों के पर्यन्त)		मेला/एक्सप्रेस गाड़ियां					गाड़ियों की किस्म के लिए दिनांक 12.07.2017 का आरबीई सं. 68/2017 देखें					किस्म की गाड़ियां				
							01 सेट	02 सेट	03 सेट	04 सेट	05 सेट	1-एसी	2-एसी	3-एसी	एएसएल/ 2एस	आरई-IV	1-एसी	2-एसी	3-एसी	एएसएल	2एस
1	अध्यक्ष लेवल बोर्ड एवं बोर्ड सदस्य	17	06 सेट	03 सेट	प्रथम श्रेणी ए	1-एसी	2-एसी	3-एसी	एएसएल/ 2एस	आरई-IV	1-एसी	2-एसी	3-एसी	एएसएल	2एस	ईसी	सीसी				
2	महानिदेशक एवं महाप्रबंधक	16	06 सेट	03 सेट	प्रथम श्रेणी ए	1+ आरई-I	एईएम	एईएम	एईएम	आरई-III	1+ आरई-III	2	2	4	एईएम	एईएम	2	2			
3	महाप्रबंधक एवं समान स्तर के अधिकारी	15	06 सेट	03 सेट	प्रथम श्रेणी ए	आरई-III	एईएम	एईएम	एईएम	आरई-IV	आरई-IV	2	4	4	एईएम	एईएम	1	2			
4	एच ए जी अधिकारी (एन एफ- एच ए जी सहित)	14	06 सेट	03 सेट	प्रथम श्रेणी ए	आरई-III	एईएम	एईएम	एईएम	आरई-IV	आरई-IV	2	4	4	एईएम	एईएम	1	2			
5	एस ए जी अधिकारी (एन एफ- एस ए जी सहित)	13	06 सेट	03 सेट	प्रथम श्रेणी ए	आरई-III	एईएम	एईएम	एईएम	आरई-IV	आरई-IV	2	4	4	एईएम	एईएम	1	2			
6	सेलेशन ग्रेड अधिकारी	12	06 सेट	03 सेट	प्रथम श्रेणी ए	आरई-III	एईएम	एईएम	एईएम	आरई-IV	आरई-IV	2	4	4	एईएम	एईएम	1	2			
7	जे ए जी अधिकारी	11	06 सेट	03 सेट	प्रथम श्रेणी ए	आरई-III	एईएम	एईएम	एईएम	आरई-IV	आरई-IV	2	4	4	एईएम	एईएम	1	2			
8	सिनियर स्केल अधिकारी	10	06 सेट	03 सेट	प्रथम श्रेणी ए	आरई-III	एईएम	एईएम	एईएम	आरई-IV	आरई-IV	2	4	4	एईएम	एईएम	1	2			
9	अन्य गुरु ए एवं जी राजपनिव अधिकारी	9	06 सेट	03 सेट	प्रथम श्रेणी ए	आरई-III	एईएम	एईएम	एईएम	आरई-IV	आरई-IV	2	4	4	एईएम	एईएम	1	2			
10	अन्य गुरु ए एवं जी राजपनिव अधिकारी	8	06 सेट	03 सेट	प्रथम श्रेणी ए	आरई-III	एईएम	एईएम	एईएम	आरई-IV	आरई-IV	2	4	4	एईएम	एईएम	1	2			
11	अन्य गुरु ए एवं जी राजपनिव अधिकारी	6 और ऊपर	01 सेट (रेल सेवा के 5 वर्ष के अंत तक)	02 सेट	प्रथम श्रेणी ए	आरई-V	एईएम	एईएम	एईएम	आरई-IV	आरई-IV	1	2	2	एईएम	एईएम	एनई	2			
12	अन्य गुरु ए एवं जी राजपनिव अधिकारी	5	03 सेट	02 सेट	द्वितीय/ स्त्रीय श्रेणी	एनई	एनई	एनई	एनई	एनई	एनई	1	2	2	एनई	एनई	एनई	2			
13	अन्य गुरु ए एवं जी राजपनिव अधिकारी	4	03 सेट	02 सेट	द्वितीय/ स्त्रीय श्रेणी	एनई	एनई	एनई	एनई	एनई	एनई	1	2	2	एनई	एनई	एनई	2			
14	अन्य गुरु ए एवं जी राजपनिव अधिकारी	3	03 सेट	02 सेट	द्वितीय/ स्त्रीय श्रेणी	एनई	एनई	एनई	एनई	एनई	एनई	1	2	2	एनई	एनई	एनई	2			
15	अन्य गुरु ए एवं जी राजपनिव अधिकारी	2	03 सेट	02 सेट	द्वितीय/ स्त्रीय श्रेणी	एनई	एनई	एनई	एनई	एनई	एनई	1	2	2	एनई	एनई	एनई	2			
16	अन्य गुरु ए एवं जी राजपनिव अधिकारी	1	03 सेट	02 सेट	द्वितीय/ स्त्रीय श्रेणी	एनई	एनई	एनई	एनई	एनई	एनई	1	2	2	एनई	एनई	एनई	2			
17	अन्य गुरु ए एवं जी राजपनिव अधिकारी	1	03 सेट	02 सेट	द्वितीय/ स्त्रीय श्रेणी	एनई	एनई	एनई	एनई	एनई	एनई	1	2	2	एनई	एनई	एनई	2			

नोट:- पत्र/च/सहकर सुविधा से संबंधित मौजूदा प्रावधान जारी रहेंगे

Dr. H. S. Sharma

उप-निदेशक/सहायक (कल्याण)-1/रेलवे बोर्ड